मध्य प्रदेश शासन
पर्यटन विभाग,
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक 566 /2703609/2025/तैंतीस भोपाल,दिनांक 03/04/2025

प्रति

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड
भोपाल।

विषयः- पर्यटन नीति 2025 की कंडिका 6.16 ''दूरस्थ/दुर्गम क्षेत्रों में पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना पर अतिरिक्त अनुदान के सम्बन्ध में पात्रता की शर्तो के निर्धारण बाबत।

--००--

उपरोक्त विषय में विभाग द्वारा पर्यटन नीति- 2025 जारी की गई है। उक्त नीति की कंडिका 6.16 "दूरस्थ दुर्गम नवीन क्षेत्रों में पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना पर अतिरिक्त अनुदान की पात्रता की शर्ते निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

1. दूरस्थ दुर्गम नवीन क्षेत्रों में पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना पर अतिरिक्त अनुदान की सुविधाओं के लाभ के लिये आवश्यक होगा कि पर्यटन परियोजना राष्ट्रीय राज्य मार्ग राज्य मार्ग से न्यूनतम 5 किमी की दूरी पर स्थापित की गयी हो, जहाँ आधारभूत अधोसंरचना का निर्माण जैसे पहुँच मार्ग, विद्युत व्यवस्था आदि की स्थापना इकाई द्वारा स्वयं की गई हो।
2. इकाई नगरीय निकाय यथा नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद् तथा नगर पंचायत एवं निवेश क्षेत्र की सीमा से बाहर अन्य किसी भी स्थल पर स्थापित की गई हो।
3. इकाई स्थल की 10 किलोमीटर की परिधि में इकाई श्रेणी की अन्य कोई परियोजना स्थापित न हो।
4. ऐसे स्थान पर मध्यप्रदेश शासन के किसी विभाग अथवा उपक्रम द्वारा कोई पर्यटन परियोजना स्थापित की गई हो तो उसे गणना में नहीं लिया जायेगा।
5. यदि वाईल्ड लाईफ रिसोर्टस इस श्रेणी के अंतर्गत पात्रता रखते हैं तो उसे यह विकल्प होगा कि वह किसी एक पात्रता श्रेणी का चयन कर सकें।

Dir (T.P.)

2/4/25

(जगदीश कुमार गोमे)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग

Mgr (I)

L-2025-P-162

407 7/4

म.प्र. टूरिज्म बोर्ड, भोपाल
आवक क्रमांक TB-1028
दिनांक 4/4/2025
7/4